

पत्रांक : टी.टी.प्रे. 1439 / 2017

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

प्रेषक,

निदेशक (शैक्षणिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
पटना-17

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
महाबोधी महाविद्यालय,
नालंदा।

विषय : डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाविद्यालय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि हेतीर कार्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भूवनेश्वर उडीसा के ERCAPP3819, दिनांक 02.05.2016 द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के परिप्रेक्ष्य में एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के आलोक में संस्थान का स्थलीय निरीक्षणोपरांत समर्पित संयुक्त जौच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित शर्त/सुझाव एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नांकित शर्तों के साथ सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गयी।

शर्तः—

- संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन-2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् रेगुलेशन-2014 के परिशिष्ट-2 अनुच्छेद-2.2 (ac) में निहित प्रावधानों, यथा प्रत्येक वर्ष में दो सौ दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि नामांकन एवं परीक्षा कार्य में व्यतिरिक्त की गयी अवधि के अतिरिक्त होगा।
- महाविद्यालय को नामांकन एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा College of professional education एवं Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalay बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश जो क्रमशः (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 में प्रकाशित कालिका 91.1, 91.2 के साथ कालिका-2 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्धारित मापदण्डों को पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- यदि महाविद्यालय द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारंभ करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय—सीमा का उल्लंघन किया जाता है अथवा विनियमावली में निर्धारित वर्ग संचालन प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 200 दिनों का कार्य दिवस पूरी नहीं करती है तो वैरसी रिस्ते में समिलि द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा से वंचित कर सम्बद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी रिस्ते में महाविद्यालय अवधा विद्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा में समिलित होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों का समय—समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने हेतु सक्षम होगी।
- संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय-व्यय से संबंधित अकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
- संस्था विधिवत रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय/वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगी एवं उसके भविष्य निधि कठीती का विवरण संबंधित करेगी।

8. नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक समियों के पद त्वार्ग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।
9. संस्थान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद/शिकायत प्राप्त होने पर जीवोपरांत आरोप प्रमाणित होने पर सम्बद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से की जाएगी।
10. प्रतिवर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित बच्चों का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निर्गत करनेवाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है।
11. प्रबंधन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
12. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य अथवा प्राचार्यां एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
13. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।
14. संस्थान को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं, रखने होंगे।
15. संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक बेवसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी छानबीन की जाएगी एवं ऐसा नहीं किया जाना सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
16. यदि किसी संस्थान को पूर्व/वर्तमान से राज्यालित डी.एड. कोर्स की मान्यता सम्बद्धता समाप्त की जाती है तो डी.एल.एड. कोर्स की सम्बद्धता रुक्त समाप्त हो जाएगी।
17. संस्थान द्वारा नामांकन लेने से पूर्व सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान के साथ उनके बैंक खाता को आधार नम्बर से सम्बद्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपके संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2017-19 से 02 यूनिट (100) प्रशिक्षणार्थीयों को दो वर्षीय डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

विश्वासमाजन

निदेशक (शैक्षणिक)

विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक : टी.टी.प्रै. 1439

पटना, दिनांक 26/09/2017

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय निदेशक ERC, NCTE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उडीसा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, विहार, पटना / निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, विहार, पटना / अध्यक्ष के आप सचिव एवं सचिव के आप सचिव, विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक : टी.टी.प्रै. 1439

पटना, दिनांक 26/09/2017

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, नारायण

को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17